न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 08 वर्ष 2017

आवेदक– गोउर महतो
ग्राम – तीरो टोला–धोवाटाँड़
थाना – जरीडीह जिला–बोकारो

क्रेता– लुधु देवी
ग्राम – तीरो टोला–धोवाटाँड़
थाना – जरीडीह जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गइ कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
01	02	03

आदेश

यह वाद आवेदक– गोउर महतो पिता स्व0 विजय महतो ग्राम तीरो टोला–धोवाटाँड थाना–जरीडीह जिला – बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1),(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:–

C-C Issued 04/7/17

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
तीरो	89	92	244	1.06 ए0	1¾ डी0	आवासीय योग्य
कुल एक पूर्णांक एक बटा तीन डीस्मिल					1¾ डी0	

को वे अपना ईलाज खर्च हेतु मो0 18000/– (अठारह हजार) रूपये में क्रेता–लुधु देवी पति दासु महतो ग्राम तीरो टोला–धोवाटाँड़ थाना जरीडीह जिला –बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 57/रा0, दिनांक 28.01.2017 के माध्यम से अंचल अधिकारी, जरीडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, जरीडीह का पत्रांक शून्य दिनांक 22.04.2017 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता तथा क्रेता दोनों कुर्मी जाति का सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम तीरो थाना जरीडीह जिला–बोकारो का निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में बिक्रेता के परदादा के पिता शिबु महतो के नाम से दर्ज है तथा बिक्री वाली जमीन की जमाबन्दी भी उन्हीं के नाम से जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ सं0 123/V पर चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2016–17 तक लगान रसीद निर्गत है।
03. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता गोउर महतो के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया कि आवेदनांकित जमीन उनके परदादा के पिता के नाम सर्वे खतियानी जमीन है, जिसकी जमाबन्दी उनके स्वयं कायम है एवं उसपर वे वर्तमान में शान्तिपूर्ण दखलकार

है। उक्त जमीन को वे आवश्यकता वश बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- शिबु महतो के नाम सर्वे खतियान तथा स्वयं के नाम सरकारी लगान रसीद एवं स्वयं आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- स्वयं के नाम आधार कार्ड एवं सरकारी लगान रसीद छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी जरीडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वे दोनो एक ही ग्राम, थाना एवं जिला-बोकारो का निवासी हैं। आवेदित जमीन उनके परदादा के पिता के नाम सर्वे खतियानी एवं उनके अंश की जमीन है, जिसकी जमाबन्दी उनके स्वयं के नाम से कायम है जिसपर वे वर्तमान में शान्तिपूर्ण दखलकार है। उक्त जमीन को वे आवश्यकता वश बिक्री कर रहे हैं।

अतः आवेदक- गोउर महतो पिता स्व0 विजय महतो ग्राम तीरो टोला-धोवाटाँड थाना-जरीडीह जिला- बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
तीरो 89	92	244	1.06 ए0	1¾ डी0	रास्ता	भरत महतो	रास्ता	नीज बिक्रेता
		कुल योग		1¾ डी0	(एक पूर्णांक तीन बटा चार) डीस्मिल मात्र			

मो0 18,000/- (अठारह हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- लुधु देवी पति दासु महतो ग्राम तीरो टोला-धोवाटाँड़ थाना-जरीडीह जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.16 01:11:44 -08:00
Location: 192.168.1.35